(81)

R. 4049-II/12

श्री मुकेश भार्गव, अभि0 द्वारा आज दि. 27-11-12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव 27-11-12 (एडवोकेट) ग्वालियर

शाखा प्रभारी (रा.अं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान राजस्व परिषद ग्वालियर मध्य प्रदेश

निगरानी प्रकरण क्रमांक   सन् 012

मस्तराम पिता फक्कड़ शिवहरे उम्र 73 वर्ष

निवासी ग्राम देवरी, तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0---निगरानीकर्ता

बनाम

1. हरीसिंह तनय प्रताप सिंह
2. कल्ला उर्फ देवीसिंह तनय भगवत सिंह
3. प्रेमरानी बेवा स्व. प्रताप सिंह

   समस्त निवासीगण ग्राम देवरी, तहसील चंदला

   जिला छतरपुर म0प्र0

4. शासन म0प्र0   --गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा.सं. 1959

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक ~~135~~ 133/निगरानी/अ-6/2011-012 मस्तराम बनाम हरीसिंह में पारित आदेश दिनांक 8/10/012 से दुखी होकर ।

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है -

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नं. 289/2 रकबा 0.081 हेक्टेयर स्थित मौजा देवरी की भूमि निगरानीकर्ता के वर्ष 1981 से लगातार स्वत्व एवं आधिपत्य में रही है जिसकी पुष्टि पटवारी के प्रतिवेदन एवं पंचनामा से होती है उक्त भूमि निगरानीकर्ता ने दिनांक 15/6/81 को पूर्व भूमिस्वामी विक्रेता अनावेदक क्रमांक 2 के पिता भगवतसिंह निवासी देवरी से बैनामा के आधार पर क्रय की थी उसी आधार पर निगरानीकर्ता ने बिवारण न्यायालय नायब तहसीलदार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4049-दो/2012 जिला छतरपुर मस्तराम विरूद्ध हरिसिंह व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 133/निगरानी/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 08-10-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-11-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

05/02/19

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

05/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य